तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम ज... की तामि... हु...
	नामांतरण करवाना नहीं चाहते हैं अतः नामांतरण किया जाकर बहस सुनी जावे। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 10-12-15 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (मु.) बायतु	
10-12-15	पत्रावली पेश हुई। वकुलाह कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7-1-16 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (मु.) बायतु	
7-1-16	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/ ✓अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 18-1-16 को प्रस्तुत हो।	
18-1-16	पत्रावली पेश हुई। वकुलाह कोई उपस्थित नहीं उभय पक्ष बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। नियमानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर (मु.) बायतु	

ण्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–ए.एच.गौरी (आर.ए.एस.)

D 1/31

राजस्व वाद संख्या :– 27/2004

1. खेमाराम पुत्र कुनाराम
2. खींवराज पुत्र बन्शीलाल जाति माली साकिन कुचेरा तहसील नागौर

वादीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र हेमाराम के कायम मुकामान
   1/1 भंवरू पुत्र शंकर जाति माली निवासी कुचेरा
   1/2 प्रमा पुत्री शंकर पत्नि गोपाल निवासी सालवा
2. नेमाराम पुत्र केसूराम
3. हिम्मतराम पुत्र केसूराम
4. दानाराम पुत्र बालाराम
5. तुलसीराम पुत्र बालाराम
6. कानाराम पुत्र बालाराम
7. पारसमल पुत्र रामलाल
8. मनीराम पुत्र झुमरराम
9. मोतीराम पुत्र झुमरराम
10. पप्पुराम पुत्र बन्शीलाल
11. बुधाराम पुत्र बन्शीलाल
12. बालकिशन पुत्र बन्शीलाल
    सभी जाति मालियान निवासी कुचेरा तहसील नागौर
13. मुकारब खान पुत्र करीमखान कायमखानी निवासी कुचेरा
14. तहसीलदार नागौर

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री अर्जुनदास एडवोकेट — वादीगण
1. श्री मेघराज सोनी एडवोकेट — प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा हक खातेदारी एंव बन्टवारा
वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 18-1-16

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद बाबत घोषणा हक खातेदारी एंव बन्टवारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजस्व वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 12 एक ही परिवार के सदस्य है। शिम्भुराम के पुत्र गोपजी ने अपना हिस्सा मुकारब खान प्रतिवादी संख्या 13 को विक्रय कर दिया तथा शिवनाथ की औलाद में वादी संख्या 2 के पक्ष में एक चौथायी हिस्सा रहा तथा शेष वारिसान तो ला–औलाद फौत हो गया या वादी संख्या 2 के पक्ष में पूर्व में बन्ट में दे दिया। इसी प्रकार मूलाराम के वारिस एंव उतराधिकारीगण में केवल प्रतिवादी संख्या 7 पारसमल के बन्ट का हिस्सा एक चौथाई ही रहा तथा मंगाराम की औलाद में वादी संख्या 1 खेमाराम के बन्ट में एक चौथाई हिस्सा रहा था जो वर्तमान में काबिज है।

हमारा बन्टवारा पूर्व में हो गया था एंव हम अपने अपने बन्ट के अनुसार काबिज है, परन्तु खाते में अभी भी पुराने नाम चले आने से हमारे सामने कई तरह की परेशानियां खडी होती है। बन्टवारा के अनुसार खेत खसरा नम्बर 421 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पूरा व खसरा नम्बर 418 का उतरी भाग 2 बीघा 2 बिस्वा वादी संख्या 1 खेमाराम के बंट में आया है तथा उसी का कब्जा है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 418 का शेष दक्षिणी हिस्सा 4 बीघा 10 बिस्वा वादी संख्या 2 खींवराज के कब्जे काश्त एंव बन्ट में रखा गया है। यह जमीन उपजाऊपन के आधार पर तथा ऊपर नीचे पानी के भराव के कारण कम ज्यादा बन्ट पूर्व में ही कर दिया एंव उसी बन्ट के अनुसार हम वादीगण अपनी अपनी बन्ट की जमीन पर काबिज है तथा गत 50–60 साल से काश्त करते आ रहे है परन्तु खाते में नाम प्रतिवादीगण एंव उनके पूर्वजो के होने से यह वाद बाबत बन्टवारा एंव घोषणा हक खातेदारी का पेश करना लाजमी हो गया है।

गोपी, जंवरू, केसाराम, भगवती, झुमर फौत हो चुके है तथा गोपी व जंवरू के कामय मुकामान शन्कर प्रतिवादी संख्या 1 है तथा केसूराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है तथा भगवती के वारिसान भी प्रतिवादी संख्या 4 से 6 है तथा झुमरराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 से 12 व वादी संख्या 2 है। इस प्रकार से खाते में रिकार्डेड तमाम खातेदारान एंव उनके विधिक वारिसान को प्रतिवादीगण बनाया गया है।

बिनाय वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण हम उपरोक्त खेतो पर गत चालीस पचास साल से लगातार काबिज होते हुए भी खाते में प्रतिवादीगण का नाम साथ में होने से बमुकाम कुचेरा तहसील नागौर में पैदा हुआ है।

D 1/33

वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया कि बाद जांच डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमायी जाए कि खेत खसरा नम्बर 421 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पुरा व खसरा नम्बर 418 का उत्तरी भाग 2 बीघा 2 बिस्वा वादी संख्या 1 खेमाराम तथा खसरा नम्बर 418 का शेष रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी हिस्सा वादी संख्या 2 खींवराज के कब्जे काश्त एंव बंट का घोषित करावें व इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावें एंव अन्य दादरसी जो भी लाभार्थ वादीगण हो वह भी हमे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 4 से 6 व 13, 14 के सम्मन तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 8 से 12 ने इकबाली जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी के वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 7 पारसमल पुत्र रामलाल जाति माली निवासी कुचेरा की ओर से निम्न उतरवाद पेश किया–

वाद का पैरा संख्या 1 में वर्णित वंशावली अपूर्ण व असत्य है वादग्रस्त खेताय उरजाराम के खातेदारी में कभी नहीं रहे थे, इसलिए उनके नाम से वंशावली बताना या प्रकट करना इस वाद में कोई महत्व नहीं रखता है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम लागु होने के बाद पुत्रीयां, पत्नी व माता भी उतराधिकारी होते है। लेकिन इसमें किसी महिला का नाम अंकित नहीं है। उक्त वंशावली के संबंध में वादी से स्ट्रीक प्रूफ लिया जावें।

वाद पत्र के अनु. सं. 2 में वर्णित तथ्य असत्य है, अस्वीकार है। वादग्रस्त खेताय ग्राम कुचेरा के खसरा नम्बर 418, 419, 420, 421, 2457/3173 कुल रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 7 पारसमल का 1/4 हिस्सा था व है जो स्थिति उक्त खेताय के पट्टे सर्वप्रथम जारी हुवे उसी समय से है इसलिए उसमें परिवर्तन करने या कराने का वादीगण को अधिकार नहीं है खेताय में वादीगण का 1/4 हिस्सा नहीं है। वादीगण का खेताय में कोई हक हिस्सा नहीं है।

वाद पत्र के अनु. सं. 3 में वर्णित तथ्य असत्य है, अस्वीकार है। वादीगण का यह कथन सर्वथा असत्य है कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में बंटवाडा हो गया हो एंव खेत खसरा नम्बर 421 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पुरा, व खसरा नम्बर 418 का उतरी भाग 2.2 बीघा वादी संख्या 1 के बंट में आना व उसी का कब्जा होना तथा खसरा नम्बर 418 का शेष दक्षिणी रकबा वादी संख्या 2 के बंट में आना व उस ही का कब्जा होना सर्वथा असत्य है, अस्वीकार है। वादग्रस्त खेताय में वादीगण का कोई हक हिस्सा था ही नही तो बंट होना व उक्त अनुसार बंटवाडा कराने का तथ्य सर्वथा असत्य

न्यायिक कलक्टर (भू.) नागौर

D 1/34

है, अस्वीकार है राज. काश्तकारी अनुसार जुबानी बंटवाडा विधिसंगत नहीं है। इस के लिए लिखित बंटवांडा तहसीलदार की लिखित स्वीकृति या न्यायालय की डिक्री से ही बंटवाडा हो सकता है इसलिए इस संबंध में कोई तथ्य वादीगण ने अपने वाद में नहीं दिये है। यहां यह लिखना भी प्रासंगिक होगा कि वादीगण ने कथित बंटवाडा का कोई पुरा विवरण ही नहीं किया है। वादीगण वादग्रस्त खेताय के संबंध में किसी तरह की घोषणा हक खातेदारी या बंटवाडा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वाद विधि व रिकॉर्ड के विरूद्ध है, निरस्त होने योग्य है।

वाद के अनु. सं. 4 में वर्णित तथ्य असत्य है, अस्वीकार है वाद में मृत व्यक्तियों के समस्त उतराधिकारीयों को पक्षकार नही बनाया है। आवश्यक पक्षकारान के अभाव में वादीगण का वाद निरस्त होने योग्य है।

वाद के अनु. सं. 5 में वर्णित तथ्य असत्य है, अस्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध विशेषतः वादी संख्या 4 के विरूद्ध किसी तरह का बिनायवाद पेश नही होता है।

वाद का अनु.सं. 6 कानूनी है।

वाद का अनु.सं. 7 में वर्णित तथ्य असत्य है, अस्वीकार है। वाद सारहीन रिकॉर्ड व मौके की स्थिति से भिन्न निरस्त होने योग्य है। वादीगण खेत खसरा नम्बर 431 रकबा 6.14 बीघा पुरा व खसरा नम्बर 418 का उतरी भाग 2.2 बीघा, की खातेदारी वादी संख्या 1 खेमाराम तथा खसरा नम्बर 418 का शेष रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी हिस्सा वादी संख्या 2 खींवराज के कब्जे काश्त खातेदारी व बंट के घोषित नहीं किये जा सकते। वादीगण इस तरह की डिक्री पारित करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद असत्य, अपूर्ण बनावटी तथ्यों के आधार पर है जो निरस्त होने योग्य है।

अतिरिक्त कथन –

वादग्रस्त खेताय के संबंध में वादीगण ने उरजाराम एंव उसके पुत्रगण शिवनाथ, मुलाराम, मगाराम, शिभुंराम के नाम का कोई राजस्व रेकर्ड पेश नहीं किया है। वादग्रस्त खेताय के पट्टे हेमाराम, दुगजी, रामपाल व रामरतन का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था व उसी अनुसार प्रत्येक का 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त था इन चारों के नाम से प्रत्येक का 1/4 हिस्से का पट्टा आया इस अनुसार राजस्व रेकर्ड मे आज भी उनके वारिसान के नाम 1/4, 1/4 हिस्सा चला आ रहा है वादीगण या उनके बढेरो के नाम कभी रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज नहीं थे इसलिए वादीगण को किसी तरह के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है वादीगण ने सर्वथा झुठा बनावटी रेकर्ड के विरूद्ध तथ्य कथन कर वाद हाजा पेश किया है जो निरस्त होने योग्य है। राज. काश्तकारी अधिनियम 1956 के किसी प्रावधान के तहत् वादीगण को उक्त खेताय पर किसी प्रकार

के खातेदारी अधिकार कभी प्राप्त नहीं हुवे, न होते है, न होंगें। वादीगण ने वाद सर्वथा झुठा पेश किया है।

अतः उतरवाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई–

1. आया वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 12 पैरा संख्या 1 वाद के अनुसार एक ही सजरा खानदान के है। (जिम्मे वादीगण)
2. आया खसरा नम्बर 421 रकबा 6.14 बीघा, खसरा नम्बर 418 रकबा 2.02 बीघा उतरी भाग वादी संख्या 1 खेमाराम तथा खसरा नम्बर 418 का शेष रकबा 4.10 बीघा दक्षिणी हिस्सा वादी संख्या 2 खींवराज के कब्जे काश्त एंव बंट में आया है। जो भूमि किमतन व उपजाऊपन के आधार पर किया है। (जिम्मे वादीगण)
3. आया वाद वादीगण आवश्यक पक्षकारान के अभाव में चलने काबिल नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी सं. 7)
4. आया वादीगण को आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए। (जिम्मे प्रतिवादी सं. 7)
5. दादरसी

वकील प्रतिवादी संख्या 7 ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में बनी है। जो अपूर्ण है। आवेदन पत्र में वर्णित तनकीयात तनकी नम्बर 4 के बाद बनाई जावें। वकील वादी ने जवाब पेश कर कथन किया कि तनकीयात सही बनी है तथा पूर्ण है। किसी अन्य तनकी की आवश्यकता नहीं है। बहस वकुलाय दरख्वास्त वकील प्रतिवादी आदेश 14 नियम 5 सीपीसी पर सुनी गई। दरख्वास्त वकील प्रतिवादी संख्या 7 का आवेदन स्वीकार किया जाकर दरख्वास्त में वर्णित तनकीयात अतिरिक्त तनकी के रूप में कायम की गई।

6. आया ग्राम कुचेरा के खसरा नम्बर 418, 419, 420, 421, 2457/3173 कुल रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा सुरजाराम की खातेदारी के थे। जिनके वादीगण सहकाश्तकार थे और इन खेतों में वादीगण का हिस्सा था। (जिम्मे वादीगण)
7. आया पक्षकारान के मध्य वादपत्र के अनुच्छेद संख्या 2 में वर्णित अनुसार वादग्रस्त खेताय का बंटवाडा हुआ। यदि हां तो क्या यह बंटवाडा विधि अनुसार था। (जिम्मे वादी)
8. आया वादी संख्या 1 खेमाराम ग्राम कुचेरा के खसरा नम्बर 421 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा पुरा एंव खसरा नम्बर 418 का उतरी भाग 2 बीघा 2 बिस्वा तथा वादी

संख्या 2 खींवराज खसरा नम्बर 418 का शेष रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा दक्षिणी भाग अपने नाम के बंट व खातेदारी के घोषित कराने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादी)

गवाह के रूप में खेमाराम पुत्र बन्नाराम जाति माली निवासी कुचेरा ने शपथ पत्र पेश किया तथा गवाह ने जो दस्तावेज वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 खतौनी संवत् 2055 से 2058, प्रदर्श–2 खसरा पत्रक 2015, प्रदर्श–3 खतौनी संवत् 1981, प्रदर्श–4 खतौनी संवत् 2018 से 2021 जो वाद के साथ शामिल मिसल है।

जिरह वकील प्रतिवादी संख्या 7 – उरजाराम की मरने की संवत् याद नही है। करीब 200 साल पहले शान्त हो गये थे। मंगाराम मेरे जन्म से पूर्व ही शांत हो गये थे, जिन्हे करीब 90 साल हो गये। यह सही है कि उरजाराम के चारो बेटे अलग–अलग ही रहते थे। मंगाराम के कितनी पुत्रीयां थी मुझे पता नहीं। मंगाराम के लडके रामरतन को शान्त हुए 60 साल हो गये। उनके पिछे उनके चार लडके व 2 लडकियां है। यह सही है कि मैने दावे के पैरा नं. 1 में जो वंशावली पेश की है। समें रामरतन के चारो पुत्र व दोनो पुत्रियों का नाम नहीं दर्शाया है। दयालराम बेटा मंगाराम के फौत हुए करीब 25 साल हो गये। दयालराम के तीन लडके थे बडा रामबक्ष, रामनिवास व रामाकिशन। रामबक्ष जगननाथ के गोद चला गया। यह बात सही है कि दयालराम पुत्र मंगाराम के कुन्नाराम नाम का कोई लडका नहीं था। मेरा पिता का नाम कुन्नाराम है। कुन्नाराम जी श्रीरामजी के बेटे थे। यह बात सही है कि दावें में जो वंशावली दी है उसमें किसी भी लडकियों के नाम नहीं दिये अचखुद कहा कि वंशावली का मुझे पता नहीं है। दावे के पैरा नं. 1 में जो वंशावली दी है। उसका मुझे पता नहीं। यह सही है कि प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 में मेरा, मेरे पिता का व मेरे दादा श्रीराम का नाम नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श–2 परचा पत्रक संवत् 2015 में भी मेरा, मेरे पिताजी व मेरे दादाजी का नाम नहीं है। यह भी सही है कि प्रदर्श–3 खतौनी संवत् 1981 में भी मेरा, मेरे पिताजी व मेरे दादाजी का नाम नहीं है। इस तरह से जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में भी मेरा, मेरे पिताजी व दादा का नाम नहीं है। यह सही है कि मैने मेरा, मेरे पिताजी व दादाजी का कोई रेकर्ड पेश नहीं किया है। मै जो बंटवाडा होना बताता हूँ वह सन् 2003 में हुआ था। माह व तारीख याद नहीं है। यह बंटवाडा हमारे दादा होने से पहले हो गया जो चार पीढी पहले ही हो गया था। चार पीढी पहले बंटवाडा होने की जो करता हूँ उसकी कोई लिखापढी नहीं है। खसरा नम्बर 418 रकबा 2.02 बिस्वा मेरे बंट में आने की 35 साल पहले की है। वो 35 साल पहले की लिखापढी मैने पेश नहीं की है। उस लिखापढी 5 रूपये के स्टाम्प पर हुवी है। खसरा नम्बर 421 रकबा 6.14 बीघा मेरे बंट में आने की कोई लिखा पढी मेरे पास नहीं है। इसके खेत की लगान की रसीदे

D 1/37

मेरे पास है जो इस दावे में मैने पेश नहीं की है। यह बात सही है कि मैने दावे में व मेरे शपथ पत्र मे मेरा बंट में खसरा नम्बर 421 व 418 आना लिखा गया है दुसरे पक्षकारो को बंट नहीं लिखा गया है। यह कहना गलत है कि खसरा नम्बर 418 व 421 में मेरे बंट में नही आया है ओर मैने झूठा दावा किया हो। अचकुद कहा कि मै कक1/4 हिस्से का हकदार हूॅ। खसरा नम्बर 418 का 2.02 बिस्वा मैने क्रय खरीद की है जो मैने शंकर से खरीद की है। रजिस्ट्री नही कराई थी लिखापढी करायी थी। जो मैने 500 रूपये में खरीद की थी। यह सही है कि खसरा नम्बर 418 का 2.02 बीघा की खरीद की लिखापढी मैने पेश नहीं की है।

यह कहना गलत है कि मैने पारस जी को झूठा तंग करने व उनका रास्ता रोकने के लिए झूठा दावा किया हो। यह गलत है कि मैने झूठे बयान दिये हो।

गवाह मदनलाल पुत्र लिच्छु, घीसा पुत्र गोपा ने शपथ पत्र पेश किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 के वकील ने जिरह की।

वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 शंकर का देहान्त होने पर उनके उतराधिकारीगण को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान भंवरू का सम्मन मकान पर चस्पानगी व पेमा का सम्मन लेने से इन्कारी के रूप में तामिल हो चुका है। दोनो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रतिवादी संख्या 7 देना नहीं चाहते है। वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दिनांक 06.02.2014 को पेश किये। जो नियत समय सीमा में होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान को रेकर्ड पर लिया जाता है।

वादी ओर कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहता। अतः वादी साक्ष्य बंद किया जाकर प्रतिवादी साक्ष्य लिया गया। प्रतिवादी संख्या 7 पारसमल ने शपथ पत्र अधीन आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया। जिस पर वकील वादीगण द्वारा जिरह की गई।

अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि वादीगण का 1/4 हिस्सा है। यह बाद प्रतिवादीगण ने अपने जिरह में माना है। प्रतिवादी संख्या 7 ने अपना हिस्सा बेच दिया। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 7 के वकील ने बहस के दौरान कथन किया कि वादीगण का खेत से कोई संबंध नहीं है। वादी अपनी पैतृक भूमि साबित करने में असफल रहे है। हमने वंशावली को भी अस्वीकार किया है। वादी व उसका पिता व अन्य सह खातेदार नहीं रहे। जबानी बंटवारा को आधार नहीं माना जा सकता है।

सहायक कलक्टर (मु.) आमेर

D/38

लिखित में बंटवारा नहीं है। वादी ने वंशावली के लिए शपथ पत्र नहीं दिया है तथा जिरह में वंशावली प्रमाणित नहीं होती है। अतः दावा खारिज किया जावें। इसके संबंध में आर.आर.डी. 1997 पेज संख्या 598 व आर.आर.डी. 1978 पेज संख्या 664 की नजीरें पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादीगण ने यह वाद पेश कर खसरा नम्बर 421 की 6.14 बीघा सम्पूर्ण भाग, खसरा नम्बर 418 की उतरी भाग 2.02 बीघा वादी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नम्बर 418 की 4.10 बीघा दक्षिणी भाग वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त खातेदारी घोषित करने का प्रस्तुत किया है। वाद के समर्थन में प्रदर्श– 1 जमाबंदी 2055–58, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 खतौनी संवत् 1981 पेश की जिसमें हजारी हुगो बेटो शिवनाथ रो, रामदेव पांचिया रामलाल बेटा मूला रा रामरतन दयाला बेटा मगा रो गोपियों बेटा शिम्भु रो दर्ज है। प्रदर्श–4 सम्वत् 2018 की जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 7 ने प्रदर्श– डी–1 नक्शा, प्रदर्श– डी–2 नकल जमाबंदी संवत् 2059–62 प्रस्तुत की जिसमें खसरा नम्बर 418 व 421 की 6.12 व 6.14 गोपी बेवा हेमाराम, शंकर, जबरू पुत्र हेमाराम, सीताराम पुत्र गंगाराम 1/4 हिस्सा, पारसमल पुत्र रामलाल 1/4 हिस्सा, झुमर पुत्र डूगा 1/4 हिस्सा, मुकारब पुत्र करीमखां 1/4 हिस्सा खातेदार दर्ज है। वादीगण ने कुनालाल व बंशीलाल के वारिस की हैसियत से यह वाद पेश किया है। वादपत्र के पैरा संख्या 1 की वंशावली के अनुसार वादी संख्या 1 मगराम व वादी संख्या 2 शिवनाथ के वंशज बताये गये है। बयान वादी संख्या 1 एंव गवाह घीसाराम पुत्र गोपी के करवाये। जिसमें वादी के बयान पर जिरह के दौरान वादी ने कथन किया कि दावे के मद संख्या 1 में जो वंशावली पेश की है उसमें रामरतन के दो पुत्र व चार पुत्रियों के नाम नहीं है। दयालराम को फौत हुए 25 वर्ष हो गये है उसके तीन लडके थे, दयालराम के कुनाराम नाम का कोई लडका नहीं था मेरे पिता कुनाराम जो श्रीराम के बेटे थे। वंशावली में कोई लडकियों के नाम नहीं दिये। वंशावली के बारे में मुझे पता नहीं। इस प्रकार वादीगण वाद के खसरा नम्बर की भूमि को वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित वंशावली जो कि वादीगण के द्वारा बयानों में तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होती है के मुखिया उरजाराम के नाम की भूमि कभी रही हो के संबंध में कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण पैतृक सम्पति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18-1-16 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ए. एच. गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.

1. खेमाराम पुत्र कुनाराम
2. खींवराज पुत्र बन्शीलाल जाति माली साकिन कुचेरा तहसील नागौर वादीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र हेमाराम के कायम मुकामान
   1/1 भंवरू पुत्र शंकर जाति माली निवासी कुचेरा
   1/2 प्रमा पुत्री शंकर पत्नि गोपाल निवासी सालवा
2. नेमाराम पुत्र केसूराम
3. हिम्मतराम पुत्र केसूराम
4. दानाराम पुत्र बालाराम
5. तुलसीराम पुत्र बालाराम
6. कानाराम पुत्र बालाराम
7. पारसमल पुत्र रामलाल
8. मनीराम पुत्र झुमरराम
9. मोतीराम पुत्र झुमरराम
10. पप्पुराम पुत्र बन्शीलाल
11. बुधाराम पुत्र बन्शीलाल
12. बालकिशन पुत्र बन्शीलाल
    सभी जाति मालियान निवासी कुचेरा तहसील नागौर
13. मुकारब खान पुत्र करीमखान कायमखानी निवासी कुचेरा
14. तहसीलदार नागौर प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा हक खातेदारी एंव बन्टवारा
वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं 27 सन् 2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—ब—रू ———— बहाजरी ——— मिनजानिब मुदई ब ———— मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद वादीगण पैतृक सम्पति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

बीज ——— मुबलिग. ——— बाबत् ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. ——— .को अदा करें।

बसब्त मेरें दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-1-16 को जारी की गई ।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर